

मण्डल सैम, मण्डल कार्यालय, झाँसी

झलकारी बाई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कानपुर रोड, झाँसी उ.प्र. - 284001, फोन नं.: 0510- 2321461, ईमेल: cs8252@pnb.bank.in.

नीलामी सन्दर्भ सं.: ई-नीलामी/ baanknet /2026-27/ तिमाही -01/ स. 04

दिनांक 16.06.2026

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI) के सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) अंतर्गत बैंक के द्वारा बंधक बनाई गई चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-विक्रय नोटिस दिया जाता है। नीचे वर्णित चुककर्ताओं ने पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया था तथा इस ऋण की राशि चुकाने में विफल रहे। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना जारी की गई थी और उसके बाद बंधक सम्पत्तियों का रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है, और नीचे वर्णित सम्पत्तियों को उस तारीख को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित, 'जहां है, जैसा है', 'जैसा है वैसा है', '...', और 'जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है, जो बैंक/प्रतिभूति लेनदार के कारण, अपने बकाये की वसूली के लिए (सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत बिक्री का निर्णय लिया है।) आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) संबंधित संपत्तियों के विरुद्ध विवरण का नीचे दी गई तालिका के अनुरूप होगी।

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं.	शाखा का नाम खाता का विवरण उधारकर्ता/जमानकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम(बंधक सम्पत्ति/यां (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ)सरफेसी नियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि ब)एनपीए तिथि को देय बकाया राशि स)सरफेसी नियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि द)कब्जा का प्रकार-रचनात्मक /सांकेतिक/भौतिक कब्जा अ) 31.01.2023	अ)आरक्षित मूल्य (लाख में) ब)अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) राशि जमा करने की समय सीमा स) वृद्धिशील बिड धनराशि	ई-नीलामी की तिथि व समय
1	शाखा सिविल लाइन्स, झाँसी उधारकर्ता-श्रीमती सरोज पत्नी श्री जय कुमार जमानकर्ता 1.श्री चैनसुख अहिरवार पुत्र स्व. हरप्रसाद 2. श्री. नरेन्द्र अहिरवार पुत्र स्व. चैनसुख अहिरवार	सभी भाग एवं हिस्सों सहित संपत्ति स्थित हल्दोलपुरा, निकट हरदौल बाबा मंदिर, कोछामावर, झाँसी-284001, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 625 वर्गफुट। (बंधककर्ता श्रीमती सरोज पत्नी श्री जय कुमार) चौहददी:- पूर्व-श्री पप्पू खटौती का मकान उत्तर-मार्ग 3.05 मीटर, पश्चिम- बाबूलाल का प्लॉट, दक्षिण- श्री ब्रजकिशोर का मकान	ब) रु. 14,41,747.86/- + ब्याज एवं अन्य खर्चें दि. 31.10.2023 से प्रभावी स) 11.03.2024 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 14.00 लाख ब) रु. 1.40 लाख 07.07.2026 स)रु. 0.10 लाख	07.07.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
2	शाखा: गुरसराय, जिला झाँसी ऋणी- मेसर्स शिवा ट्रेडर्स, प्रोपराइटर श्री मोहन लाल चौरसिया। जमानकर्ता- श्री हरी शंकर चौरसिया व श्री उमाशंकर चौरसिया।	एक मंजिलीय आवासीय बिल्डिंग कुल क्षेत्रफल 1592 वर्गफुट और कवर्ड क्षेत्रफल 1450 वर्गफुट स्थित मकान नं. 147, वार्ड नं. 14, मोहल्ला कटरा, गुरसराय, जिला- झाँसी (उ.प्र.)। (संपत्ति मालिक/ बंधककर्ता- श्री हरी शंकर चौरसिया व श्री उमाशंकर चौरसिया) चौहददी-पूरब- श्री लल्ली कुशवाहा की सम्पत्ति, पश्चिम- श्री लल्ली कुशवाहा की सम्पत्ति के आगे की गली, उत्तर- श्री प्रदीप पाठक व श्री तुलसीराम कुशवाहा की सम्पत्ति के आगे की रोड, दक्षिण- श्री दयाराम की सम्पत्ति।	अ) 06.06.2017 ब) रु. 21,96,677.25 + ब्याज एवं अन्य खर्चें स) 11.09.2017 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 22.00 लाख ब) रु. 2.20 लाख 07.07.2026 स)रु. 0.10 लाख	07.07.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
3	शाखा-बबीना उधारकर्ता-श्री. बिलास खान पुत्र अजमत उल्लाह खान	आवासीय संपत्ति स्थित बबीना ग्रामीण (कैंट एरिया के बाहर) आराजी नं. 2051/1 मि. मौजा बबीना ग्रामीण जिला झाँसी उत्तर प्रदेश माप क्षेत्र 278.81 वर्गमीटर (श्री बिलास खान पुत्र अजमत उल्लाह खान के नाम पर है।) चौहददी: (टाइटल डीड के अनुसार): पूर्व-विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम- 6. 10 मीटर चौड़ा रास्ता, उत्तर- 3.96 मीटर चौड़ा रास्ता, दक्षिण- सिन्नी यादव का प्लॉट	अ) 27.02.2023 ब) रु. 23,94,058.33 +ब्याज एवं अन्य खर्चें दि. 31.01.2023 से प्रभावी स) 03.05.2023 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 19.62 लाख ब) रु. 1.97 लाख 17.07.2026 स)रु. 0.10 लाख	17.07.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
4	शाखा-सिविल लाइन्स, झाँसी उधारकर्ता-मैसर्स रॉयल शू कलेक्शन प्रोप. श्रीमती सीमा पटेरिया पत्नी श्री प्रसन्ना कुमार पटेरिया।	संपत्ति स्थित दो व्यवसायिक दुकान के रूप में निजी सं. 11 एवं 15 द्वितीय लत, दीनदयाल मार्केट, मौजा तलैया, झाँसी, जिला झाँसी, यू.पी. क्ष. 27.63 वर्गमी. (जोकि श्रीमती सीमा पटेरिया पत्नी श्री प्रसन्ना कुमार पटेरिया के नाम पर है।) चौहददी (टाइटल डीड के अनुसार): पूर्व-सामान्य मार्ग 8'9", पश्चिम-विक्रेता की दुकान, उत्तर-सामान्य मार्ग 9'3", दक्षिण-सामान्य मार्ग 9 फीट।	अ) 21.12.2022 ब) रु. 17,96,722.61 +ब्याज एवं अन्य खर्चें दि. 30.11.2022 से प्रभावी स)30.05.2023 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 15.00 लाख ब) रु. 1.50 लाख 17.07.2026 स)रु. 0.10 लाख	17.07.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
5	शाखा-पीएनबी (ई ओबीसी) सीपीए बाजार झाँसी, उधारकर्ता-मैसर्स होटल जय जनक नन्दनी, प्रोप. राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र अशोक कुमार चतुर्वेदी।	व्यवसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 3623, 3631, 3624 एवं 3625 स्थित मौजा फुटेरा, बरुआ सागर, झाँसी क्ष. 980 वर्गमी.। सम्पत्ति मालिक/ बंधककर्ता श्री राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी। चौहददी -उत्तर-रास्ता एवं श्री निवास, अशोक कुमार एवं अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण-घासी राम का खेत, पूरब- 3मी चौड़ा रास्ता एवं राजेन्द्र की सम्पत्ति, पश्चिम- मौलू का खेत।	अ) 19.10.2019 ब) रु. 38,48,769.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चें स) 21.08.2021 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 46.00 लाख ब) रु. 4.60 लाख 28.07.2026 स)रु. 0.10 लाख	28.07.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
6	शाखा-पीएनबी (ईओबीसी) सीपीए बाजार झाँसी, उधारकर्ता-मैसर्स होटल जय जनक नन्दनी, प्रोप. राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पुत्र अशोक कुमार चतुर्वेदी।	व्यवसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 3621 स्थित मौजा फुटेरा, बरुआ सागर, झाँसी क्ष. 1725 वर्गफीट। सम्पत्ति मालिक/ बंधककर्ता श्री राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी। चौहददी -उत्तर-श्रीमती राज कुमारी का प्लॉट, दक्षिण-विक्रेता की भूमि, पूरब-राजेन्द्र चतुर्वेदी का प्लॉट, पश्चिम-4.66 मी रास्ता।	अ) 19.10.2019 ब) रु. 38,48,769.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चें स) 21.08.2021 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 07.00 लाख ब) रु. 0.70 लाख 28.07.2026 स)रु. 0.10 लाख	28.07.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें- 1. विक्रय प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 अधिनियम में वर्णित नियम एवं शर्तों एवं निम्न अन्य शर्तों के अनुसार होगा। 2. संपत्तियाँ "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर विक्रय की जा रही हैं। 3. इस अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 4. यह बिक्री वेबसाइट <https://baanknet.com> पर 11.00 AM से 04.00 PM तक उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। 5. विस्तृत अवधि और बिक्री की शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> देखें। 6. सर्विस प्रदाता का हेलप डेस्क नम्बर +918291220220 अथवा मुख्य प्रबंधक, मंडल कार्यालय: झाँसी मो. 9470591961 ई-मेल cs8252@pnb.bank.in. है। विस्तृत जानकारी हेतु कृपया हमारे वेबसाइट पर विजिट कर अथवा नोडल अधिकारी मुख्य प्रबंधक से मो. 9470591961, पर संपर्क करें। कृपया नोट करें: 1.प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण- कोई अधिभार ज्ञात नहीं।
*सम्पत्ति का विक्रय सांकेतिक कब्जा जो "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जा रहा है। भौतिक कब्जा ऋणी/प्रशासन द्वारा देने पर प्राप्त होगा।
2. यह नोटिस उधारकर्ताओं/जमानकर्ताओं/बन्धककर्ताओं को बिक्री नोटिस भी है।

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक: : 16.06.2026

स्थान: झाँसी

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नैशनल बैंक,
मण्डल कार्यालय झाँसी